तारीख हुक्म	हुक्मा या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज
	27.7.2021 - पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप. प्रार्थना पत्र बाबत मौका रिपोर्ट पर एतराज पर उभय पक्षों को सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थी ने अपने खातेदारी सुदा एवं कब्जा सुदा खेत खं० नं० 118 रकबा 15:39 हे० में अपनी कब्जासुदा व बंटसुदा खेत मार्क ABCD में जाने हेतु मार्क KL रास्ता खुलवाने व उक्त स्थान पर रास्ता कायम करने का निवेदन किया। उक्त पर तहसीलदार डेगाना से मौका रिपोर्ट चाही गई। परन्तु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक ने अप्रार्थी से मिलावट कर अस्पष्ट व अवांछित रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की है। पटवारी ने ना तो मौका देखा व ना ही मौके का नक्शा बनाया। जबकि मौके पर सभी खातेदार अपने-अपने हिस्से पर काबिज है। पाली-डोले, बाडे बनी हुई है। इस संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं की है। वांछित रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता है या नहीं अंकित नहीं किया है। अतः सही न्याय निर्णय हेतु पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बावजूद पर्याप्त अवसर के जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर उनका जवाब बन्द किया गया। भू-अभिलेख निरीक्षक पालडी कलाँ के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार विवादित खं० नं० 118 रकबा 15.39 हेक्टेयर प्रार्थी व अप्रार्थी के साथ-साथ अन्य सहखातेदारान के शामलाती है। मुताबिक रिकार्ड एवं मौका रे खसरा नं० 118 खसरा नं० 98 ... [illegible] रास्ता है। सह-खातेदार अपनी सु[illegible] काश्त करते है इस प्रकार [illegible] 118 पर सुगम पहुँच मार्ग [illegible] हमने अधिवक्तागण उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2022.04.09 11:11:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी डेगाना (नागौर)

Continue...

Scanned by CamScanner

अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संवत 2073-2076 ग्राम गोठड़ा के ख०नं० 118 रकबा 15.39 हैं० के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त विवादित भूमि प्रार्थी, अप्रार्थीगण व अन्य खातेदारान की सह-खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी स्वयं ख०नं० 118 का खातेदार है तथा वह अपने कुछ सहखातेदारों से रास्ता चाह रहा है। जबकि धारा 251 A RTAct 1955 में यह प्रावधान किये गये है कि कोई खातेदार दूसरे खातेदार से अपनी जोत में आने-जाने हेतु रास्ते की मांग कर सकता है, अगर उसके पास कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो। न कि एक सहखातेदार दूसरे सह-खातेदार से। प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी व अप्रार्थीगण सहखातेदार है जबकि संयुक्त खातेदारी भूमि प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर समान रूप अधिकार होता है। इस प्रकार जब तक ख०नं० 118 का विधिवत बंटवारा होकर पृथक-पृथक खातेदारी दर्ज नहीं हो जाती तब तक उक्त खसरा की भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण का समान रूप से काश्त कब्जा स्वीकार किया जावेगा। अगर सभी खातेदारान ने मौके भूमि को विभाजित कर लिया हो तो उन्हें विधिवत रूप से बंटवारा करवाना चाहिए जिसमें सभी हिस्सेदारों के लिए रास्ता उपलब्ध रखा जा सकता है। इस प्रकार भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा राजस्व रेकर्ड एवं मौके की पर्याप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिससे प्रार्थी का एतराज प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हो चुका है कि प्रार्थी द्वारा सह-खातेदारों से अविभाजित भूमि में से रास्ता चाहा है जबकि खसरा नंबर 118 जो प्रार्थी व अप्रार्थीगण सहित अन्यो की सह-खातेदारी में दर्ज है तथा उक्त खसरा रास्ता पर [illegible] पर्याप्त पहुँच मार्ग उपलब्ध है। प्रश्नगत खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2022.04.09 11:11:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी डेगाना (नागौर)

Continue---

Scanned by CamScanner

Continue From last Page --

27.07.2021 सह- खातेदारो मे दर्ज होने, पर्याप्त पहुँच मार्ग उपलब्ध होने के कारण प्रार्थी धारा 251 A RTAct 1955 के तहत अनुतोष प्राप्त नही कर सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 A RTAct 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम की जावे। निर्णय सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2022.04.09 11:11:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner